अनुदान संख्या 12 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 12–DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*40,00*	*18,20*	*–21,80*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*21,80*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1812,93,00	1812,95,00	1658,54,64	–154,40,36
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				138,77,60
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	526,00,00	551,21,00	550,97,16	–23,84
पूरक	Supplementary	25,21,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	4445.00	4247.68	4183.12	–64.56
पु.	R.	–197.32			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	53644.00			
पू.	S.	1.00	58457.50	58222.50	–235.00
पु.	R.	4812.50			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6872.00			
			158.00	. .	–158.00
पु.	R.	–6714.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	113367.00			
पू.	S.	1.00	101454.88	100465.90	–988.98
पु.	R.	–11913.12			

(I) 6916.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसमें से 6872.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का उपयोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs. 6916.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.6872.00 lakhs alone was under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to utilisation of funds by re-appropriation to meet the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim from concerned functional heads and surrender of balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2057" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2057"- savings occurred under the following heads:-

(का) "क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय" - 123.16 लाख रु. की बचत (2743.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Purchase – D.G.S.&.D"- saving of Rs.123.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2743.00 lakhs); and

(खा) ''निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय'' - 138.72 लाख रु. की बचत (1702.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2407'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''चाय'' -

(क) ''आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण - चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि को अंतरण'' - 550.00 लाख रु. की बचत (5850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय में संशोधित अनुमान चरण पर समग्र कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - चाय बोर्ड'' - 300.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन फार सदर्न इंडिया - चाय अनुसंधान संस्थापना चाय बोर्ड का अनुसंधान संगठन द्वारा पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''काफी - अन्य व्यय - काफी बोर्ड'' - 500.00 लाख रु. की बचत (3320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(गा) ''मसाला - उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी - मसाला बोर्ड'' - 213.00 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनेतर व्यय को पूरा करने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3453'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक'' - 297.25 लाख रु. की बचत (4035.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Inspection-Directorate General of Supplies Inspectorate"- saving of Rs.138.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1702.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2407"- savings occurred under the following heads:–

(A) "Tea"-

(a) "Transfer to Reserve Fund / Deposit Accounts – Transfer to Development Fund for Tea Sector"- saving of Rs.550.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5850.00 lakhs) was due to the overall reduction in the plan outlay by the Ministry of Finance in revised estimates stage.

(b) "Other Expenditure - Tea Board"- saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds released earlier by the United Planter's Association for Southern India - Tea Research Foundation, the Research Organisation of Tea Board.

(B) "Coffee-Other Expenditure-Coffee Board"- saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3320.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the Board.

(C) "Spices-Payment against Collection of Cess-Spices Board" - saving of Rs.213.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to generation of internal resources by Spices Board to meet the non-plan expenditure.

(IV) Under Major Head "3453" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" – saving of Rs.297.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4035.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and of economy measures.

(खा) ''व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त'' - 112.00 लाख रु. की बचत (7300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान व्यापार प्रतिनिधित्व बैठकें कम संख्या में होने की वजह से विदेश यात्रा पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(गा) ''व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय'' - 127.48 लाख रु. की बचत (1084.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सक्षम प्राधिकारी से व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''निर्यात की गुणवत्ता नियंत्रण - निर्यात निरीक्षण परिषद''- 131.00 लाख रु. की बचत (590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिषद के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन - सांताक्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र'' - 167.14 लाख रु. की बचत (605.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने और स्थानीय करों का परिनिर्धारण मंडलों के स्थान पर इकाइयों द्वारा किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण'' - 1066.70 लाख रु. की बचत (5600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण'' - 935.00 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय और योजनेतर व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन रखने वाले संबंधित प्राधिकरणों द्वारा योजना परिव्यय में समग्र कमी किए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''बाजार पहुंच का सूत्रपात - निर्यात अध्ययन'' - 9739.78 लाख रु. की बचत (10224.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावाधान की तुलना में) पूर्वापेक्षा के अनुसार परियोजनाएं

(B) "Trade Representation - Trade Commissioners"- saving of Rs.112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7300.00 lakhs) was due to less expenditure on foreign travel owing to less number of trade representation meetings held during the year.

(C) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics"– saving of Rs.127.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1084.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of expenditure sanction from the competent authority.

(D) "Quality Control of Export - Export Inspection Council"- saving of Rs.131.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.590.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the Council.

(E) "Administration of Export Promotion Schemes – Santacruz Special Economic Zone"- saving of Rs.167.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.605.00 lakhs) was due to economy measures and settlement of the local taxes by the units instead of Zones.

(F) "Other Expenditure"-

(a) "Marine Products Export Development Authority"- saving of Rs.1066.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5600.00 lakhs); and

(b) "Agricultural Products Export Development Authority"- saving of Rs.935.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to overall reduction in the plan outlay by the Ministry of Finance and respective authorities having sufficient internal resources to meet the non-plan expenditure.

(c) "Market Access Initiative - Export Studies"- saving of Rs.9739.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10224.00 lakhs) was due to the projects

कार्यान्वित नहीं की जा सकीं क्योंकि अध्ययन चल रहे थे।

(घ) ''संस्थाओं को सहायता'' - 690.00 लाख रु. की बचत (1355.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के लिए स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय में कमी किए जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 293.83 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7187.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसम्बर, 2004 और मार्च, 2005 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2407'' -

(क) ''चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 3452.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3451.00 लाख रु. था।

(ख) ''कॉफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 400.00 लाख रु.।

(ग) ''रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 1940.00 लाख रु.।

(घ) ''मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 400.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3453'' - ''निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों के लिए सहायता'' - 995.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 944.92 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

could not be implemented as anticipated as the studies were in process.

(d) "Assistance to Institutions"- saving of Rs.690.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1355.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme for regional centre of Indian Institute of Foreign Trade at Kolkata and reduction in plan outlay by the Ministry of Finance.

(V) Under four heads savings of Rs.293.83 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.7187.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.2.00 lakhs in December,2004 and March,2005 under the following major heads:-

(A) Major Head - "2407" –

(a) "Tea - Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.3452.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3451.00 lakhs.

(b) "Coffee - Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.400.00 lakhs.

(c) "Rubber - Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.1940.00 lakhs.

(d) "Spices - Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.400.00 lakhs.

(B) Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance for Export Promotion and Market Development Organisations"- Rs.995.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.944.92 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–4000.00			
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	38600.00	42601.00	42577.16	–23.84
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	4000.00			

(I) 4000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का उपयोग किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.4000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Other Expenditure – Lump sum provision for the development of North Eastern Region including Sikkim"- due to utilisation of funds by re-appropriation to concerned functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित स्कीमें" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3999.00 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.4000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation under Major Head "5453"- "General – Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern States including Sikkim"- as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December,2004. Actual excess, however, was Rs.3999.00 lakhs.